न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया(गिरिडीह)

अजय कुमार गुप्ता बनाम् संजय साव वगै0

विविध वाद संख्या –99 / 2024

U/S – BNSS 163

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. अजय कुमार गुप्ता, पिता – स्व0 राम शरण साव उर्फ शरण साव, साकिन – जरमुन्ने, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. संजय साव, पिता – स्व0 राम शरण साव,
2. आरती देवी, पति -- संजय साव,
3. साहिल कुमार, पिता – संजय साव,

सभी साकिन – जरमुन्ने, थाना – बगोदर, जिला – गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, बगोदर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
जरमुन्ने	15	912	12 डी0 मधे 06 डी0	उ0– नीज हिस्सेदार, द0– दिव्या गुप्ता, पु0– रोड, प0– खेमलाल राय।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष / उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 21.06.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**

06.09.2024

2. स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**

3. केवाला संख्या – 7824, दिनांक – 02.06.1989 की छायाप्रति– कुल 15 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**

4. केवाला संख्या – 7821, दिनांक – 02.06.1986 की छायाप्रति– कुल 12 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**

5. केवाला संख्या – 8869, दिनांक – 16.09.2019 की छायाप्रति– कुल 17 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**

6. प्रेम देवी के नाम से ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श A-6**

7. नजरीये नक्शा की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-7**

8. अजय कुमार गुप्ता के नाम से आधार कार्ड की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-8**

9. लिखित कारण पृच्छा दिनांक 06.09.2024 कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A-9**

10. दिनांक 06.09.2024 को बंटवारानामा की छायाप्रति कुल 05 पृष्ठ, **प्रदर्श A-10**

द्वित्तीय पक्ष

नोटिस तामिला प्राप्त, रेकर्ड में संलग्न है। दिनांक – 30.08.2024 को द्वित्तीय पक्ष न्यायालय में वकालतन उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा लिखित कारण पृच्छा समर्पित किया गया।

द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई भी राजस्व दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।

1. लिखित कारण पृच्छा – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**

अंचल बगोदर का प्रतिवेदन –

अंचल अधिकारी, बगोदर का पत्रांक– 546 दिनांक – 02.07.2024 अनुलग्नक सहित कुल – 02 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ, रा0उ0नि0 एवं प्र0अं0नि0 का प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1

मौजा – जरमुने, थाना संख्या – 108, खाता संख्या – 15, प्लॉट संख्या – 912, रकबा – 12 डी0 मधे 06 डी0 के संबंध में।

1. खतियान के अनुसार सर्वे खतियान रैयती खाते की भूमि है।

2. पंजी –2 के आधार पर ऑनलाईन पंजी–2 में पेज नं0– 190, भोलुम नं0– 17 वो पेज नं0– 173, भोलुम नं0– 19 आवेदक के माँ प्रेम देवी के नाम से निर्गत है।

3. सरजमीन पर दखल कब्जा संबंधी प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष के माँ प्रेम देवी पति रामचरण साव के नाम से केवाला के द्वारा हासिल है। दोनों पक्ष में आपसी बंटवारा को लेकर विवाद हो गया है।

4. विवादित भूमि पर दोनों पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना है। चौहद्दी उ0– नीज हिस्सेदार, द0– दिव्या गुप्ता, पू0– रोड, प0– खेमलाल राय है।

06.09.2024

विष्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना/अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
जरमुन्ने	15	912	12 डी0 मधे 06 डी0	उ0– नीज हिस्सेदार, द0– दिव्या गुप्ता, पु0– रोड, प0– खेमलाल राय।

2. उक्त विवादित भूमि रैयती खाते की भूमि है।

3. **उक्त विवादित भूमि उभय पक्ष की माता प्रेम देवी को केवाला संख्या – 7824, दिनांक – 02.06.1989, केवाला संख्या – 7821, दिनांक – 02.06.1989 तथा केवाला संख्या – 8869, दिनांक – 16.09.2019 के माध्यम से प्राप्त है, जिसका दाखिल खारिज होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है।**

4. उभय पक्ष आपस में सहोदर भाई हैं तथा एक ही जमाबंदी रैयत के वंशज हैं।

उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि यह विवाद आपसी बंटवारा तथा हक – हकियत से संबंधित है, जिस पर निर्णय करना, इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः इस वाद में निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

06.09.2024   06.09.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी   अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।   बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.09.20 17:14:49 +05:30
Location: 192.168.45.238